डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नदबई
व इजलास श्री हेमराज गुर्जर,आर.ए.एस

रामकिशन बनाम महेशचंन्द वगै0

दावा बाबत 88,89,188, रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 83/2013

यह मुकदमा आज सबसे इन्फिसाल दरपेश के रू-ब-रू ____ व हाजरी नहीं निम्नांकित मुद्दई व निम्नांकित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 414 व 815 वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई पर सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

मुद्दई ____ मुबलिग ________ बाबत __________ खर्चा इस मुकदमें के मयसूद व शरह ____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सुलबाकी तक ______ की अदा करें।

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/02/2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दालय	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तजवीज सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1. रामकिशन पुत्र बृजलाल उम्र 68 साल जाति गुर्जर निवासी ईशापुर
   जिला भरतपुर
2. नन्दराम पुत्र तेजसिंह उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी ईशापुर क
   जिला भरतपुर

बनाम

1. महेशचन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्रह्मण निवासी ईशापुर कटारा तहसील
   भरतपुर
2. जगदीश पुत्र रामचंद उम्र 73 साल ब्राह्मण निवासी गुवराऊआ तहसील नद
   भरतपुर
3. श्रीमान सहायक अभियंता महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग नदबई तहसील
   भरतपुर
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
5. सुआ पुत्री बृजलाल पत्नि उदयभान जाति गुर्जर निवासी ईशापुर कटारा हाल
   बंजी जिला भरतपुर राज0
6. रामकली पुत्री बृजलाल पत्नि श्रीभान जाति गुर्जर निवासी बंजी तहसील व जिला
7. श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई

असलप्रतिवा

तरतिवि प्रतिवादीगण

18/04/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 93/2013
सी.सी.एस.एम. नं. 2013/00054
किस्म दावा 88,89,188 आरटीए
निर्णय दिनांक ...18/02/2024

1. रामकिशन पुत्र बृजलाल उम्र 68 साल जाति गुर्जर निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. नन्दराम पुत्र तेजसिंह उम्र 35 साल जाति गुर्जर निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

—वादीगण

बनाम

1. महेशचन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्रह्मण निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. जगदीश पुत्र रामचंद उम्र 73 साल ब्राह्मण निवासी गुवराऊआ तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. श्रीमान सहायक अभियंता महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

असलप्रतिवादीगण

5. सुआ पुत्री बृजलाल पत्नि उदयभान जाति गुर्जर निवासी ईशापुर कटारा हाल निवासी बंजी जिला भरतपुर राज0
6. रामकली पुत्री बृजलाल पत्नि श्रीभान जाति गुर्जर निवासी बंजी तहसील व जिला भरतपुर
7. श्रीमान प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई

तरतिवि प्रतिवादीगण

निर्णय

अन्तर्गत धारा **88,89,189 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि विवादित आराजी हाल खसरा नं. 414 रकवा 0.01 व 415 रकवा 1.16 किता 2 कुल रकवा 1.17 हैक्ट0 वाके ग्राम कटारा तह0 नदबई में स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वजों की ... है जिसपर वादीगण पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर काश्त करते हुये आ रहे है। आराजी खसरा नं. 414 रकवा 0.01 व 415 रकवा 1.16 ... मिलान क्षेत्र0 सम्वत 2060 अनुसार 304 मिन रकवा 4 बीघा 13 बिस्वा से बना है। व मिलान क्षेत्र. सम्वत 2028 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.10.02 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अनुसार हाल खसरा नम्बरान 304 मिन रकवा 4 बीघा 13 बिस्वा का 702 मिन रकवा 7 बीघा 4 बिस्वा व 701 मिन रकवा 1 बिस्वा से बना है। जबकि राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से ही वादीगण के पूर्वज साबिक खसरा नं. 702 रकवा 8 बीघा 16 बिस्वा पर बृजलाल पुत्र इन्दर साबिक काश्तकार थे जो वादीगण का बाबा है। और राजस्व रिकार्ड में अन्य हिस्सेदारो के साथ जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 13 के खाता सं. 101 से सिद्ध है। इसके अलावा वादीगण के पूर्वज जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 खाता सं. 73 खसरा नं. 702 रकवा 8 बीघा 16 बिस्वा पर बृजलाल पुत्र इन्दर साकिन देह अंकित काबिज खातेदार है। और रामकिशन व तेजसिंह पिसरान बृजलाल शिकमी काश्त 4 अंकित है। राजस्व रिकार्ड से सिद्ध है। और किसी अनुसार वादीगण अपनी अंकन मुताबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

4. यह कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज बृजलाल पुत्र इन्दर खसरा 702 रकवा 8बीघा 16 बिस्वा से खातेदार काश्तकार से प्राप्त हुई है। परन्तु भू– प्रबंधक विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादीगण का रकवा 8 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 7 बीघा 5 बिस्वा अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है। जो खिलाफ मौका व रिकार्ड किया है। जिसको वादीगण जरिये दावा दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। भू– प्रबंधक विभाग को पूर्व इन्द्राज रिपीट करने के अधिकार है। रकवा को कमती बर्ती करने का अधिकार नही है। यह कारण है कि राजस्व कर्मचारी हाल इन्द्राज को देखते हुये पूर्व खातेदारी के रकवा को सिवाय चक मान कर वादीगण को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यावाही करने व बेदखल करने पर आमादा है। जबकि आराजी वादीगण के पूर्वजों से कब्जे काश्त की आराजी है जिसे एल.आर.एक्ट के तहत बेदखल नही किया जा सकता है। क्योकि भू– प्रबंधक विभाग को पूर्व रकवा मुताबिक ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित करना था परन्तु सिवाय चक दर्ज करना मौका व कानून के विरूद्ध है। जिसे वादीगण जरिये हक के डिक्री घोषणा करा पाने के अधिकारी है। और 1.42 हैक्ट. साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड 1.17 को कलमजन करा पाने के अधिकारी है।

5. यह कि दिनांक 01.062013 हल्का पटवारी ने वादीगण को धमकी दी थी तुम सड़क के पास के रकवे को छोड दो नही तो मैं धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करूँगा और छोटी पट्टी के तहत प्रतिवादी सं. 1 व 2 को आवंटित करूगा क्योकि यह रकवा सार्वजनिक निर्माण विभाग का होने के कारण सिवाय चक दर्ज किया गया है। अगर ऐसा होता है तो वादीगण को अजीम क्षति होगी इसलिए वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस्तकारार हक की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र खसरा नं. 414 रकवा 0.01 व 415 रकवा 1.16 किता 2 कुल रकवा 1.17 हैक्टे. के स्थान पर साबिक रिकार्ड मुताबिक राज0 काश्तकार अधि0 लागू होने के समय से काबिज व राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 2013 खाता सं. 101 व जमाबंदी सम्वत 2018 से 21 खाता सं. 73 के इन्द्राजात मुताबिक हाल रिकार्ड में वादीगण को 1.17 हैक्ट. के स्थान पर 1.42 हैक्ट. का कब्जे मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा नम्बरी रकवे को जो पट्टी के रूप नक्शा अक्श में सड़क के दोनो तरफ दर्शाया गया है। उसमें वादीगण को कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात के आधार पर खसरा नं. अंकित करते हुये

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:47:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार नदबई को हिदायत दी जावे की दौराने दावा इन्द्राजात भू-प्रबंधक विभाग द्वारा जो किये गये है। उसे कलमजन कर उसे राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त की जावे तथा 91 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही निषेध की जावे।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड तलब किये गये। प्रतिवादी स. 1 व 2 की और से श्री अशोक कुमार व प्रतिवादी स. 3 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई तथा प्रतिवादी स. 4 व 5 की और से नन्नूराम शर्मा उपस्थित प्रतिवादी 6 तामील बावजूद अनुपस्थित होने के कारण इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीवादी स. 1 व 2 की और से अपने जबाब दावा पेश किया गया । जिसमें निम्नांकित तथ्य अकिंत किये गये।

1. यह है कि दावा के मंद स. 1 का कथन स्वीकार नही है। तथा मद सं. राजस्व रिकार्ड के बाबत् है
2. यह कि दावा की मद सं. 3 का कथन स्वीकार नही है। वादीगण के साबिक खसरा नम्बरान से वादीगण के हाल खसरा नम्बरान 414 व 415 हैक्टै. बनाये गये हैं जो वादीगण की खातेदारी में चले आ रहे है। वादीगण के खसरा नं. 414 व 415 से लगकर नदबई से खेडली जाने वाली सड़क का नम्बर 390 रकवा 1.29 हैक्ट. उक्त सड़क सार्वजनिक निर्णाण विभाग पी.डब्लू.डी. की वादीगण अपने खातेदारी के खसरा नं. 414 व 415 की आड़ में सड़क की पट्टी व रकवा 10 एयर भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। गैरमुमकिन सड़क व रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार हासिल नही है।
3. यह कि दावा की मद सं. 6 स्वीकार नही है। वादीगण के विरूद्व 91 एल आर एक्ट के तहत बेदखल भी किया चुका है। तथा खसरा नं. 414 व 415 की आड़ में गैरमुमकिन सड़क के रकवा पर कब्जा करने पर आमदा है। तथा राज0 सरकार द्वारा बेदखल भी किया जा चुका है। जबकि वादीगण का गैरमुमकिन सड़क पर हक नही है। तो धमकी देने का प्रश्न नही है
4. यह कि आराजी खसरा नं. 414 व 415 की आड़ में खसरा नं. 390 रकवा 1.29 वाके ग्राम गुवरऊआ गैरमुमकिन सड़क के 0.10 हैक्ट. भूभाग पर अतिक्रमण करने की वजह से यह दावा झूठा प्रस्तुत किया है।
5. यह कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रंजिश वश पक्षकार बनाया गया हैं उक्त मुकदमा में राज. सरकार व सार्वजनिक निर्माण विभाग का हित निहित है। तथा दावा प्रस्तुत करने से पूर्व वादीगण द्वारा दफा 80 जा.दी. नोटिस देना चाहिए था तथा नोटिस की म्याद निकलने के पश्चात दावा न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत करना लाजमी है। इसलिए उक्त दावा न्यायालय श्रीमान में चलने के काबिल नही है।

प्रतिवादी सं. 1पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई की ओर से जबाब दावा पेश किया गया तथा अपने जबाब में निम्नांकित तथ्य पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

यह कि मद सं. कानूनी है मद सं. 2 दर्ज रिकार्ड अनुसार स्वीकार है। मद सं. 3 दर्ज रिकार्ड की सीमा तक स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। वादीगण को भू– प्रबंधक कार्यवाही के दौरान पक्के पर्चे वितरण होने पर उस समय भू–प्रबंधक विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था दावा म्याद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है।

2. यह कि मद सं. 4 स्वीकार नही है। वादी को सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नही बनाया है जो बनाना चाहिए था। क्योकि खसरा नं 417 गैरमुमकिन सडक दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त विभाग को सुनना आवश्यक है।

3. यह कि प्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नीयत से यह दावा पेश किया है। दावा वादी खारिज किया जाना आवश्यक है। ताकि सरकारी भूमि पर अनावश्यक कब्जा करने वालों पर रोक लग सके।

प्रतिवादीगण सं. 5 व 6 की ओर से अपनी जबाब दावा में निम्नांकित तथ्य अंकित किये

1. यह कि वाद पत्र की चरण सं. 1 पर काबिल एतराज नही है। तथा चरण सं. 2 लगायत 7 स्वीकार है। तथा 8 व 9 कानूनी है। और काबिल गौर अदालत है।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाब दावाओ के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो इस प्रकार है। :–

1. आया वादी को कब्जे के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरस्त की जावे। –जिम्मेवादी
2. वादीगण द्वारा 10 एयर भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग पर अतिक्रमण के करने के कारण चलने योग्य नही है। – जिम्मेप्रतिवादी
3. दावा 80सी.पी.सी. नोटिस से म्याद बाहर है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। –जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस अक्श दिनांक 18.03.70 खसरा नं. 304 वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 1 नकल खसरा गिरधावरी सम्वत 1980 वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस अक्श वाके ग्राम गुवरऊआ प्रदर्श 3 व 4 , नकल जमाबंदी सम्वत 2071 से 74 वाके ग्राम गुवरऊआ प्रदश 5 नकल जमाबंदी सम्वत 2018 से 21 वाके ग्राम ईशापुर कटारा प्रदर्श 6 नकल जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 13 वाके ग्राम ईशापुर कटारा प्रदर्श 7 नकल भूप्रबंधक विभाग वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 8 व 9 , 10 नकल जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 11 , नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 12 नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 प्रदर्श 13 नकल मिलान क्षेत्र. सम्वत 2028 वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 14 नकल जमाबंदी सम्बत 2066 से 69 वाके ग्राम कटारा प्रदर्श 15 पेश किये गये तथा मौखिख ब्यान के रूप में रामकिशन [illegible] निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई तथा शिवाराम पुत्र रघुवीर कौम गुर्जर [illegible] पुर कटारा पेश किये गये इनसे जिरह प्रतिवादी वकीलों द्वारा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी की ओर से अपने समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये एवं मौखिक साक्ष्य में महेशचंद पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ईशापुर कटारा तहसील नदबई जिला भरतपुर के ब्यान पेश किये गये इनसे जिरह वकील वादियो द्वारा की गई ।

हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया बहस पर मनन किया गया । तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादी को कब्जे के आधार पर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरस्त की जावे। :– तनकी संख्या 1 उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था विवादित आराजी खसरा नं. 414 रकवा 0.01 , 415 रकवा 1.16 के 2/5 हिस्से रामकली पुत्री बृजलाल पत्नि श्रीभान तथा सुख पुत्री बृजलाल पत्नि उदयभान सिंह तथा 3/5 हिस्से पर रामकिशन , तेजसिंह पिसरान बृजलाल जाति गुर्जर की खातेदारी अंकित है। परन्तु तेजसिंह के स्थान विरासतन हक त्याग से वादी सं. 2 नन्दराम खातेदार दर्ज है। जो प्रदर्श 11 तथा नकल दिनांक क्षेत्र. सम्बत 2060 प्रदर्श 13 के अनुसार उक्त खसरा न. 304 मिन 4 बीघा 13 विस्वा से बने है। तथा खसरा नं. 304 नकल मिलान क्षेत्र0 सम्वत 2028 के प्रदर्श 14 के अनुसार साबिक खसरा नं. 702, 701 रकवा क्रमशः 4 बीघा 4 विस्वा बने है। नकल नक्शा ईस प्रदर्श 12 के अनुसार विवादित आराजी के उत्तर की तरफ खसरा नं0 417 गैरमुमकिन सड़क है जिसपर सार्वजनिक निर्माण विभाग की खातेदारी अंकित हो रही है। जो प्रदर्श 11 है। तथा नकल जमाबंदी सम्वत 2010 लगायत 12 प्रदर्श 7 के अनुसार खसरा नं. 407 रकवा 8 बीघा 16 विस्वा पर बृजलाल की खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार से वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादी गण सं. 5 व 6 की विवादित आराजी पर खातेदारी सही अंकित हो रही है। परन्तु राज0 सरकार की तरफ से जबाब प्रस्तुत किया गया है जिसमें जाहिर किया है। कि वादीगण खसरा नं. 417 जो गैरमुमकिन जो सड़क दर्ज रिकार्ड में है। पर नाजायज कब्जा करने की गरज से उक्त दावा किया है। तथा न्यायालय तहसीलदार नदबई के मुकदमा नं. 90/12 उनवान पटवारी हल्का कटारा बनाम नन्दराम वगै0 के अनुसार जाहिर किया है। कि वादीगण ने हाल खसरा नं. 390 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा की गैरमुमकिन सड़क पर 0.10 हैक्टे. भूभाग पर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर दिनांक 17.01.2013 को वादीगण को बेदखल कर उक्त रकवे को नीलाम करने के आदेश दिये है जिसके विरूद्ध वादीगण ने कोई अपील नही की है। इसके अलावा वादी रामकिशन व शिवराम के ब्यान कराये तथा प्रतिवादी महेश चन्द ने ब्यान कराये गये वादीगण ने विवादित आराजी की आड़ में खसरा नं. 390 में 0.10 हैक्टे. पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके विरूद्ध तहसीलदार नदबई ने एल. आर एक्ट 91 के तहत् कार्यवाही कर रखी है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी को उक्त वाद के माध्यम से किसी प्रकार की रिलीफ नही दी जा सकती है। अतः तनकी वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

2. वादीगण द्वारा 10 एयर भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिक्रमण के करने के कारण चलने योग्य नही है। :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

तनकी सं. 1 के निर्णय में हम यह स्पष्ट कर चुके है। कि वादीगण विवादित आराजी की आड़ में गैरमुमकिन सड़क खसरा 390 के रकवा 0.10 हैक्ट. पर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त विवादित आराजी पी.डब्लू.डी. की जमीन है। इसलिए वादीगण का वादपत्र चलने योग्य नही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

3. दावा 80सी.पी.सी. नोटिस से म्याद बाहर है। अतः दावा काबिल खारिजी के है। :— उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था राज. सरकार एवं किसी अधिकारी के विरूद्ध दावा करने से पूर्व अन्तर्गत धारा 80(1) जा0 दी. के तहत् नोटिस देना आवश्यक है। यदि कोई मामला अर्जेन्ट नेचर का हो तो धारा 80(2) जा0 दी0 के तहत् बिना नोटिस दिये दावा पेश करने की न्यायालय से अनुमति ली जा सकती है। परन्तु वादीगण ने इन दोनो परिस्थितियों में कोई कार्यवाही नही की गई है। अतः दावा वादी चलने योग्य नही है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकी वाद निर्णय करने से वादीगण का वादपत्र काबिल खारिजी के है। अतः आदेश है कि दावा वादीगण विवादित आराजी खसरा नं. 414 व 415 वाके ग्राम कटारा तहसील नदबई पर सिद्ध ना होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.21 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
18/02/21

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:57:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner